

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में

1. समस्त मण्डलायुक्त।
2. समस्त जिलाधिकारी।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 04 मई, 2020

विषय- कोरोना वायरस डिजीज (कोविड-19) महामारी के दृष्टिगत सतत् प्रक्रिया उद्योगों (**continuous process industries**) के संचालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-974/77-6-2020-एल०सी०-8/2019 टी०सी० दिनांक 16.04.2020 द्वारा कोरोना वायरस डिजीज (कोविड-19) महामारी के दृष्टिगत सतत् प्रक्रिया उद्योगों (**continuous process industries**) के संचालन हेतु 11 उद्योगों को निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति प्रदान की गयी है। गृह (गोपन) अनुभाग-3 के शासनादेश दिनांक 03.05.2020 क्रम में उक्त शासनादेश दिनांक 16.04.2020 के प्रस्तर-1 में उल्लिखित 11 श्रेणी के उद्योगों के अतिरिक्त सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित 06 श्रेणी के उद्योगों को भी शासनादेश दिनांक 03.05.2020 में निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1	शीतगृह (Cold Storages)	2	डेयरियों द्वारा तरल दूध का संचालन एवं पास्चुरीकरण (Handling and Pasteurization of Liquid milk by dairies)
3	सतत या अर्ध स्वाचलित प्रक्रिया द्वारा ग्लास का निर्माण (Manufacture of Glass by continuos automatic or semi automatic process)	4	एल्यूमिना का विनिर्माण (Manufacture of Alumina)
5	एल्यूमीनियम धातु का निर्माण (Manufacture of Aluminium Metal)	6	Manufacture of Pre-sensitive offset printing plates(coil Lines)

2- शासनादेश संख्या-974/77-6-2020-एल.सी.08/2019टी.सी. दिनांक 16.04.2020 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। शासनादेश दिनांक 16.04.2020 की शेष शर्तों/प्राविधान यथावत रहेंगे।

3- इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 01.05.2020 के क्रम में गृह (गोपन) अनुभाग-3 द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 03.05.2020 में प्राविधानित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

संख्या-12/2020/985 (1)/77-6-20-एल.सी.08/2019टी.सी.तद्विनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र०।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन।
6. स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
7. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ०प्र० शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।